Date : 28th July, 2005 **Case No 03/17/2417**

01/12/150

03/17/1415

03/17/276

03/02/2293

Present : Hon'ble Mr. Justice N. K. Jain, Chairperson
Hon'ble Mr. D. S. Meena, Member

The matters are pending since 2001-2003

We have heard the respective representative and perused the material on record.

The complaint is pertaining to the difficulties of pensioners in getting free medicines. It is stated in the complaint that the Co-operative medical shops are not providing medicines as per the contract. They are also delaying in issue of Non Availability Certificate (NAC). It is further stated that as per existing rules shop-keepers have to bring that medicine and to provide the pensioners but it is not being done. It is also stated that the co-operative medical shops are not providing such Ayurvedic medicines like Bhasmi and Rass of Swarna and Chandi (of gold and silver) and causing harassment and violating human rights. It is stated in the other complaint that in Tijara no co-operative medical shop is available and forcing the pensioners to spend more money for getting the medicine from Alwar. In the complaint No. 03/17/276 it is stated that only 9 shops are working on account of increase in renewal fees of Rs.400/- and also the pensioners are not allowing to take Unani medicines thereby they are deprived of their human rights.

As per the direction of the Commission the Collector, Alwar filed its reply. It is stated that the process of issue the tender notification to open a co-operative medical shop at Tijara has been started. Member Secretary & Director Pension & Pensioners' Welfare and Managing Director, CONFED and Deputy Secretary, Cooperative Department have also filed detailed reply. It is stated that medicines are available and are supplied regularly and there is no financial limit and are also providing all medicine including Unani. However, Homeopathy are not available. It is stated the persons who are already retired from service are getting free medicines and if medicine is not available, NAC is given. As per practice, it is also stated that, the private medical shop keepers are not willing and for want of supply on issuing NAC the pensioners can get medicines from the private medical shops and the same can be reimbursed. It is also stated in the reply that to give better service to the pensioners, about 50 Upbhokta shops are there and three of them are of Ayurvedic and one is of SMS hospital, and substantial amount has been paid. It

is further stated that as Vaids are prescribing costly medicines like Bhasmi and Yogendra Rass etc. to pensioners resulting loss to the Govt. exchequer and thereby the deficit is likely to increase 20 crores, as such, there is a need to review the system. Board of Trustees held its meetings from time to time and in the last meeting held on 14th February, 2002, it was decided, that the Finance Department in consultation with the necessary experts may review the positive list at the earliest. It was also decided that the medicines to be allowed to the Government servants as per revised list shall be made available to the pensioners also. In the meeting other points/issues were also considered. Thereafter, as stated, the Committee under the chairmanship of Chief Secretary has considered the relevant issues proposed to amend the list of Ayurvedic medicine.

We have heard Mr. T. C. Jain, Jt. Secretary and Mr. A. G. Maheshwari Assistant Secretary, Rajasthan State Pensioners Medical Concession Scheme, Directorate of Pension & Pensioners Welfare, Rajasthan, Jaipur and Shri H. S. Khandelwal, Advocate and perused the reports and recommendations of the Committee on various points and Government orders.

As agreed the matters are finally disposed of.

It is not necessary to give detailed facts nor this Commission can go into the merits. Policy decision of the Government cannot be considered by this Commission. The Commission can consider the violation of human rights, if any.

As fact reveals, all the three matters are pertaining to provide free medical facility as per the Scheme to retired employees. As per rules, if no medicines are available in medical shops, a non-availability certificate is to be issued by the shop keepers. There is also a provision that the shop keepers will bring medicines and will give it to the pensioners. But as stated by the Joint Secretary, Rajasthan State Pensioner's Medical Concession Scheme, Jaipur, the practice is no more continuing for want of supply of medicines by the private medical shops and the matter is also pending in the High Court PIL at Jodhpur, which is yet to be decided. It is also admitted by the parties that necessary amendment in relevant rules 10 & 11 are proposed. There is also a decision by the Committee constituted under the Chairmanship of Chief Secretary that the positive list of Ayurvedic medicines for government servants and pensioners be revised by the Finance Department and also decided that Bhasmi may be deleted from the positive list. Be that it may be, Government has power to make rules and also competent as per feasibility and requirement for amendment in the rules. Hence, this Commission cannot go into the merits nor any direction can be issued in this regard. That apart the matter is pending under consideration before the Government. As stated the issue is also

pending before the High Court at Jodhpur. Under the circumstances, in the fact of the given case, we deem it proper to issue direction that **till the amendment is made pensioners are entitled to get medicines from authorised co-operative shops. If it is not available, the pensioners can purchase medicines from other shops as per practice and can get reimbursement as per rules. It is also expected from the Government to provide sufficient duly authorized medical shops with required medicines as per positive list so that the pensioner and in particular the ailing senior citizens can take the medicines without any harassment and with unnecessary delay. It is also made clear that if any violation, the aggrieved individual pensioner can always agitate his grievances before the appropriate Forum or Authority in accordance with the law. A copy of this order may be sent to the Director, Pension and concerned Department also.**

What we have stated above these matters are disposed of accordingly.

दिनांकः 28 अक्टूबर, 2005

परिवाद सं. 02/23/2173
परिवाद सं. 03/17/2029
परिवाद सं. 04/22/0645

खण्डपीठ

न्यायमूर्ति श्री एन.के.जैन, अध्यक्ष
श्री धर्म सिंह मीणा, सदस्य

आयोग के समक्ष उक्त तीनों परिवाद क्रमशः श्री थान सिंह, संयोजक, राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार अभियान, श्री महितोष बागोरिया एवं श्री दीपक मलिक, हैल्थ एन्वायरमैंट एण्ड डवलपमैंट कन्सोर्टियम की ओर से प्रस्तुत किये गये। तीनों परिवादों में खान मजदूरों को क्षय एवं सिलकोसिस रोग से पीडित होने एवं मृतक व्यक्तियों के साथ–साथ, संभावित रोगियों की समस्याओं को उठाया गया है।

आयोग द्वारा तीनों परिवादों में प्रसंज्ञान लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली, जिला कलेक्टर, करौली, अध्यक्ष, निमोकोनिओसिस बोर्ड एवं विभागाध्यक्ष व अधीक्षक, वक्ष एवं क्षय रोग चिकित्सालय, जयपुर, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान तथा अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर को नोटिस जारी कर, तथ्यात्मक जांच रिपोर्टस तलब की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली ने अपनी रिपोर्ट दिनांकः 3–12–02 में अवगत कराया कि सर्वे के अनुसार, विभिन्न गांवों में खनन कार्य करने पर खनन मजदूरों में सिलिकोसिस रोग की संभावना बढ़ जाती है। रिपोर्ट के साथ सर्वे में पाये गये रोगियों की ग्रामवार संख्या के आंकडे भी आयोग को प्रेषित किये गये।

इस रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इन खनन क्षेत्रों में मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है तथा बलगम परीक्षण के उपरांत पाये गये क्षय रोगियों को डॉट्स में पंजीकृत कर, इलाज शुरू किया जा चुका है तथा खनन मजदूरों को इन रोगों से बचाव, उपचार बाबत स्वास्थ्य शिक्षा दी जा चुकी है एवं खान मालिकों को निर्देशित किया गया है कि वे खनन मजदूरों को फेसियल मास्क बचाव हेतु उपलब्ध करायें साथ ही खान मजदूरों को स्वास्थ्य एवं बलगम परीक्षण हेतु प्रेरित करें।

जिला कलेक्टर, करौली ने अपनी रिपोर्ट दिनांकः 01–12–02 में आयोग को अवगत कराया है कि सूचना मिलते ही उनके द्वारा तत्काल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, करौली एवं उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हिण्डोन को प्रभावित क्षेत्रों में भिजवा कर घर–घर जाकर ऐसे मरीजों को चिन्हित कराया एवं निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया। टी0बी0 से ग्रसित रोगियों का उपचार प्रारम्भ कराया गया, एवं संभावित रोगियों को चिन्हित कर, उपचार कार्य भी प्रारम्भ करवा दिया गया है।

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि विभाग के सचिव से वार्ता कर मेडीकल टीम जयपुर से बुलवाई गई तथा जिले में जितनी खानें हैं, उन सभी में कार्यरत मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिये गये। जिला कलेक्टर, करौली ने स्वयं भी प्रभावित क्षेत्र में गांवों का दौरा करना एवं सरपंचों व आम नागरिकों से विचार–विमर्श करना अवगत कराया है। जिला कलक्टर ने अर्से से बंद पडी खानों को पुनः चालू नहीं करने के भी मौके पर निर्देश दिये तथा मृतक श्रमिकों की विधवाओं को मौके पर ही पैंशन स्वीकृति जारी की गई। साथ ही ग्रामवासियों की मांग पर अन्य रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 4.00 लाख रूपये स्वीकृत कर नये तालाब के निर्माण, हैण्डपम्प खुदवाने, व कुआ खोदने आदि की स्वीकृति जारी की गई।

रिपोर्ट के अनुसार, जिला कलेक्टर ने सिलिकोसिस रोग के बचाव हेतु मौके पर ही 40 लोगों को मास्क उपलब्ध करवाये एवं दो टीमों को लगातार इलाज जारी रखने हेतु तैनात कर दिया गया। जिला कलेक्टर द्वारा दवाओं की कमी का खण्डन किया है तथा मृतकों के बारे में छपी संख्या के आंकड़ों को भी सही नहीं बताया है।

आयोग द्वारा जिला कलेक्टर, करौली की उक्त रिपोर्ट की प्रति शासन सचिव, खनिज विभाग, वन विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, तथा श्रम आयुक्त, राजस्थान को प्रेषित कर, रिपोर्ट तलब करते हुए व्यक्तिशः उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया गया।

श्रम विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांकः 17–2–03 द्वारा आयोग को अवगत कराया गया कि जिन श्रमिकों से परिवाद संबंधित है वे राज्य के क्षेत्राधिकार में न होकर केन्द्रीय सरकार द्वारा खान अधिनियम 1952 की धारा 5 के अन्तर्गत आते हैं। अतः राज्य के श्रम विभाग से इसका कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि व्यावसायिक बिमारियों से ग्रसित या काल कलवित हुए श्रमिकों के आश्रितों की ओर से कोई क्लेम, कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत नहीं किये गये हैं एवं इस समस्या के निराकरण के संबंध में यह उचित होगा कि परिवादी संस्था द्वारा क्षतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत मृतक आश्रितों की ओर से क्लेम, प्रस्तुत करवाये जाकर उनके आश्रितों को राहत प्रदान कराई जावे।

दिनांकः 18–12–02 को खनिज विभाग की ओर से भी शासन सचिव आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित हुए। उन्होंने विभाग द्वारा जारी आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत की, जिसके अनुसार, अवैद्य खानों को बंद करने एवं खनन रोकने के लिये जिले के कलेक्टर की अध यक्षता में जिला पुलिस अधीक्षक, खनिज विभाग एवं वन विभाग की कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी में इन क्षेत्रों में कार्यरत एन0जी0ओ0 और खान मालिकों के प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में मनोनीत किये गये हैं, जिसके द्वारा पर्यावरण सुरक्षा एवं अवैद्य खनन रोकने आदि कार्य किये जाते हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख शासन सचिव ने भी अपनी रिपोर्ट दिनांकः 15–2–03 में अवगत कराया है कि खनन क्षेत्र की विषम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए टी.बी. की जांच को और भी सुलभ बनाने व गहन मोनिटरिंग व सुपरविजन के उद्देश्य से प्रभावित क्षेत्र में और अधिक टी0बी0 युनिट खोली गई तथा माईग्रोस्कोपी निदान केन्द्र स्थापित किये गये हैं। जिनमें चिकित्सकों के साथ–साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों व सामाजिक कार्यकर्ताओं की सेवायें भी डॉट्स सेवाओं के विस्तार तथा अधिक व्यापक बनाने के लिये ली जा रही हैं। प्रभावित क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाकर कैम्प लगाये गये तथा रोगियों का निःशुल्क उपचार करवाया गया। रिपोर्ट में यह भी अवगत कराया गया है कि कार्यक्रम की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती है।

श्रम विभाग ने अपनी रिपोर्ट दिनांकः 7–4–03 में यह अवगत कराया गया है कि प्रभावित श्रमिकों की सूची की जांच के संबंध में ग्रामवासियों से सम्पर्क करने पर यह तथ्य भी सामने आया कि श्रमिकों की मृत्यु के लिये काफी हद तक श्रमिक स्वयं जिम्मेदार हैं क्योंकि वे अवैद्यानिक रूप से खनन कार्य करते थे तथा खनन किये गये पत्थरों को उस वक्त मौजूद केता को बेच देते थे। इस प्रकार वे किसी नियोजन में न होकर अपनी रोजी रोटी स्वयं ही कमाया करते थे। अतः ऐसे श्रमिक कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 की श्रेणी में नहीं आते हैं।

आयोग द्वारा इन तीनों परिवादों एवं विभिन्न विभागों से प्राप्त समस्त जांच रिपोर्टस का अवलोकन किया गया। आयोग के निर्देशों पर इन विभागों द्वारा आयोग को पीडित रोगियों की उपचार व्यवस्था करते हुए मृतकों के आश्रितों को रोजगार एवं पेंशन आदि स्वीकृत करते हुए इस बाबत समय–समय पर समीक्षा करने एवं उपचार व्यवस्था जारी रखने, निःशुल्क दवाईयां आदि मुहैया कराने एवं अवैद्य खनन रोकने हेतु आश्वस्त किया गया।

जिला कलेक्टर, करौली के पत्र दिनांकः 1–11–02, 14–5–03 एवं जिला क्षय निवारण केन्द्र करौली की रिपोर्ट, खान अभियन्ता, करौली के पत्र दिनांकः 24–4–03, दिनांकः 4–1–03 की मीटिंग की मिनिट्स व समस्त पत्रावली का अवलोकन किया। एम.एच.डी.आर.–1957 व रूल्स 1986 के तहत खनन प्रभावित विभिन्न जिलों जैसे अलवर, अजमेर, बांसवाड़ा, भीलवाडा, दौसा, डूंगरपुर, जयपुर, झुंझुनूं, पाली, राजसमन्द, सीकर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के आदेश दिनांकः 23–11–02 को जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में कमेटियों का गठन किया। जिसमें अवैद्य खनन की रोकथाम एवं पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में मोनिटरिंग करेंगे एवं आदेश दिनांकः 29–1–03 में किसी एन.जी.ओ. एवं खान मालिकों को भी इस कमेटी का सदस्य बनाया गया है।

इसके अलावा इस संबंध में पत्रावली पर राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका 7467/03 में भी जारी आदेश दिनांक: 23–1–2004 पेश किये हैं। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने राजस्थान सिलिसेस रूल्स एवं कम्पन्सेशन के लिये एक कमेटी बनाने के निर्देश के साथ ही, राजस्थान वर्कमैन कम्पन्सेशन (आक्यूपेशनल डिजीज) नियम, 1965 के नियम–4 उप नियम–1 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विभाग द्वारा प्रसारित समसंख्यक अधिसूचना दिनांक: 23–7–93 एवं अधिसूचना क्रमांक: प. 1 (7)श्रनि./99 दिनांक: 31–3–99 को अधिष्ठित करते हुए राज्य सरकार द्वारा निमोकोनिसस मेडीकल बोर्ड का गठन किया है जो इन नियमों के अन्तर्गत चिकित्सा, परीक्षण, चिकित्सा रिपोर्ट प्रस्तुत करने एवं चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे। इस आदेश की पालना में राज्य सरकार द्वारा बोर्ड भी गठित कर दिया गया है।

राज्य सरकार एक कल्याणकारी सरकार होने से उसका दायित्व बनता है कि लोक कल्याणकारी कार्यों में सजगता व संवेदनशील रहकर श्रमिकों के हितों का ध्यान रखते हुए उनको बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये।

इसके अतिरिक्त आयोग संबंधित सभी विभागों से अपेक्षा करता है कि श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी गंभीर मुद्दों के निराकरण की पुख्ता व्यवस्था करेंगें। जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी अवैद्य खनन रोकने व पर्यावरण सुरक्षा के संबंध में सुचारू रूप से मोनिटरिंग करेगी।

जहां तक इन शिकायतों का मानवाधिकार आयोग से संबंध है, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, बोर्ड का गठन हो गया है व आदेश के अनुरूप कार्य करने की अपेक्षा की जाती है, इसके अलावा बोर्ड के अध्यक्ष ने दिनांक: 14–5–04 द्वारा राज्य सरकार से दिशा–निर्देश भी चाहे हैं। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि राज्य सरकार शीघ्र दिशा–निर्देश प्रदान करें। बोर्ड दिशा–निर्देशों के आधार पर या सक्षम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

उक्त तथ्यों के कारण आयोग द्वारा किसी अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है। फिर भी समस्त तथ्यों को देखते हुए पीडित अनुतोष प्राप्त करने के लिए सक्षम न्यायालय में जाने को स्वतंत्र है। इसके अलावा परिवादी संस्थाओं से भी यह अपेक्षा की जाती है कि यदि व्यक्ति विशेष को फिर भी कोई शिकायत रह जाती है तो पीड़ित पक्ष की सहमति से विधिक प्रावधानों के तहत सक्षम न्यायालय से अनुतोष व राहत आदि दिलवाने की कार्यवाही

हेतु पीड़ितों को मार्गदर्शन दिया जावे।

इस आदेश की प्रतियां प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, खनिज विभाग, आयुक्त, श्रम विभाग, अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर, जिला कलेक्टर, करौली, अधीक्षक, क्षय एवं वक्ष रोग चिकित्सालय, जयपुर को पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं परिवादीगणों को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

उक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर तीनों परिवाद निस्तारित किये जाते हैं। आदेश की प्रति तीनों परिवादों में भी संलग्न की जावे।